

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव  
(पीठारीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 54 / 2023

अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
मेहरदीन पुत्र समधा जाति मुसलमान, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अलीमखान पुत्र आलमखान 2. असकर पुत्र आलमखान 3. उसमानखान पुत्र अमीरखान 4. कमालखान पुत्र आलमखान 5. मेरादी पत्नी लतीफ 6. मारूफ पुत्र अमीर जाति मुसलमान, निवासी जुनेजों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :- वादी अधिवक्ता - श्री वृजमोहन कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 04.09.2025

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी का खेत मौजा नया जुनेजों की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 773/628 रकबा 12.1406 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है तथा रहवासी ढाणी भी बनी हुई है। वादी की अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाई हुई है। वादी की उक्त आराजी के सेढा सेढा ही सेढा पड़ौसी खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादी के शांतिप्रिय एवं अल्प संख्यक समुदाय का निर्धन किसान होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी 14.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे नेखमबंदी मौका फर्द में मार्क बिन्दु संख्या डी से सी तक बरंग लाल दर्शाया गया है। नेखमबंदी के दौरान वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाये जाने पर उन्हे कब्जा हटाने हेतु कहा गया तब प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा हटाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गईं जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी का वादी रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादी को दिलवाने तथा वादी के कब्जा कल्ल में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया तथा तनकीयात कायम की गई। बाद में दिनांक 04.07.2025 को प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पैरवी की हिदायत नहीं होने पर NO INSTRUCTION किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.07.2022 को की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 773/628 के सभी कोनों पर निशानात् लगाये गये, जिसके बिन्दु संख्या A से D कायम किये गये, जिसमें पड़ौसी खसरा नम्बर 636 के खातेदारान् का लगभग 14.00 बीघा भूमि पर कब्जा पाया गया, जिसे संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है तथा कब्जा को लेकर विवाद है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप अपना बयान गवाह शपथ पत्र पेश किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को धारते हुए वाद को स्वीकार कर वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरुद्ध अतिक्रमण को हटाया जाकर जक्त करते हुए कब्जा वादी को दिलवाने तथा वादी के कब्जा कल्ल में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरुद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को वेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.07.2022 को की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 773/628 के सभी कोनों पर न्निानात् लगाये गये, जिसके विन्दु संख्या A से D कायम किये गये, जिसमें पड़ौसी खसरा नम्बर 636 के खातेदारान् का लगभग 14.00 बीघा भूमि पर कब्जा पाया गया, जिसे संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है तथा कब्जा को लेकर विवाद है, जिसे कब्जा पाया जाना साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नहीं करने तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करने एवं वादी का वाद निराधार एवं झूठे तथ्यों पर आधारित होने का कथन करते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया गया है। पत्रावली में तनकीयात कायम की गई किन्तु वाद में प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में NO INSTRUCTION किया जाने पर तनकीयात संख्या 1 व 2 का एकसाथ संक्षिप्त में विवेचन इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा उक्त वाद अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी के दौरान प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर वादी अपनी खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण व कब्जा को हटाने तथा प्रतिवादीगण को वेदखल करवाने का विधिक अधिकारी है तथा अपनी खातेदारी में स्थायी निपेघाज्ञा प्राप्त करने का हकदार होने से उक्त तनकीयात वादी के पक्ष में साबित होती है। तनकीयात संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण के जिम्मे थी, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे साबित हो सके कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई कब्जा नहीं किया जाना साबित हो तथा वादी उनके विरुद्ध स्थायी निपेघाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं हो। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप वयान शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण व कब्जा किया हुआ साबित होने पर वादी अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा जुनेजों की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 773/628 रकवा 12.1406 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने वाबत् स्थायी निपेघाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि राजस्व टीम का गठन कर वाद पैमाईश विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर वेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादी को सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर  
सह (SDO) शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
सह (SDO) शिव (बाड़मेर)